Serial No. 6785 Circle: Patna City

Book No. :- 1 Deed No. 6077

6785

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

N 431098

Deed No. 6077

क्रय संख्या 9560 तारीख 24/5/18

क्रेता का नाम और पता

Govt. of Bihar

District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 04/06/2018 by Kumari Renu Sinha

A Stamp Duty of Rs. 1,05,000/- and other registration fees 26,000/- has been paid for it.

This document was found admissible, the Name, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executant and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 6077 in Book No. 1, Volume No. 748 on pages from 1 to 26 and fee has been paid for it, total registration fee Rs. 26,000/- for the year 2018

Signature with Date

(Satya Narayan Choudhary)

Registering Officer, Patna

Date: 04/06/2018

Token No: 6040/2018

दस्तावेज को तारीख किया

दस्तावेज में अंकित दावित विवरणों के अनुरूप सही पाया।

एवं

जाँच लिपिक

(अरुण कुमार महाराज)

विकास कार्य एकरारनामा

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 04/06/2018. ई० को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाता है।

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director/Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

SCANNED BY

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

N 431099

खरीदार का नाम और पता.....

महेन्द्र प्रसाद मुद्रांक विक्रेता
No.-136/76-समाहरणालय, पटना

1. **श्रीमती कुमारी रेणु सिन्हा** पति का नाम श्री विश्वम्भर प्रसाद, निवासी ग्राम–छत्तरबिगहा, पोस्ट–आमवाँ, थाना–बिन्द, जिला–नालन्दा, वो वर्त्तमान निवासी–आई.ई.सी. हाउस, राजेन्द्र नगर, रोड नं.–3, थाना– कदमकुआँ, जिला–पटना, पिन–800016, राज्य–बिहार, भारतीय नागरिक भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संघ भूखण्ड स्वामी की भूखण्ड में निहित प्रतिनिधि वारिसान सदस्य प्राधिकृत एजेन्ट उत्तराधिकारी एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है। छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादित प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे जिन्हें उसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

एवं

मेसर्स स्काईवाल्क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निबंधन है जिसका रजिस्ट्रेशन नं०- **U64200BR2008-PTC013723 Year 2008-09** जिसका निबंधित कार्यालय-2/185, न्यु पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना- 800013, राज्य-बिहार, जिसके निदेशक **श्री राजन कुमार वर्मा** पिता का नाम श्री सुबोध कुमार वर्मा, वर्त्तमान एवं स्थायी निवासी-2/185, न्यु पाटपीपुत्रा कॉलोनी, पटना- 800013, राज्य-बिहार, के माध्यम से सम्पादित किया जाता है, जिन्हें इसके आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्त्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है, जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।

यह कि कुल क्षेत्रफल 8 कट्ठा 14 धुर 10 धुरकी (आठ कट्ठा चौदह धुर दस धुरकी) जो मौजा- रानीपुर चक मिल्की, थाना- बाईपास सब रजिस्ट्री ऑफिस पटना सिटी, सदर रजिस्ट्री ऑफिस तथा जिला- पटना, क्षेत्रान्तर्गत स्थित है जिसका थाना नं०-20 (बीस), तौजी नं०-261, खाता नं०-47 (सैंतालीस), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं०-223 (दो सौ तेईस) है और वर्णित भूखण्ड पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित) के अन्दर है जिसका पूर्ण विवरण अनुसूची-1 में दर्ज है।

यह कि जमीन मालिक प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के अनुसूची संख्या-1 में वर्णित है, जो इस विलेख का भाग है।

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

यह कि अनुसूची संख्या-1 में वर्णित सम्पत्ति को जमीन मालिक प्रथम पक्ष ने अपने खास अर्जित आय से बजरिये वसीका निर्विवाद विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था। जिसका प्रथम दस्तावेज संख्या-1130, बुक नं0-1, जिल्द नं0-123/2006 पेज नं0-175 से 186, दिनांक 19.03.1997, निबंधित निबंधन कार्यालय पटना सदर, नविस्ते श्रीमती उषा सिन्हा पति स्व0 सुरेन्द्र नारायण सिन्हा, निवासी महल्ला- चित्रगुप्तनगर, पोस्ट-कंकड़बाग, जिला-पटना से मवाजी- 2 कट्ठा 4 धुर 10 धुरकी खरीद की है, द्वितीय दस्तावेज संख्या-1148, बुक नं0-1, जिल्द नं0-1, पेज नं0-547 से 564, दिनांक 20.03.1997, निबंधित निबंधन कार्यालय पटना सदर, नविस्ते श्रीमती उमा पाण्डेय पिता श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, निवासी महल्ला-खजांची रोड, पोस्ट-बांकीपुर, थाना- पीरबहोर, जिला-पटना से मवाजी-3 कट्ठा खरीद की है एवं तृतीय दस्तावेज संख्या-1178, बुक नं0-1, जिल्द नं0-124/2006 पेज नं0-295 से 312, दिनांक-21.03.1997, निबंधित निबंधन कार्यालय पटना सदर, नविस्ते श्रीमती कल्याणी कुमारी पति श्री सुधांशु कुमार, ~~निवासी-हाजरी मुहल्ला~~, पटनासिटी, पोस्ट-पटनासिटी, थाना-खाजेकलां, जिला- पटना से मवाजी-2 कट्ठा 10 धुर खरीद की है वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आज तक जमीन मालिक प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वतंत्र रूप से वहैसितय सम्पत्ति में स्वामी वो दखलकार वो हकदार होकर वो रहकर सम्पत्ति को अपने निजी प्रयोग में लाते रहे है। तद्नुसार जमीन मालिक निर्विवाद रूप से स्वामी के रूप में शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रखकर एवं अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर सरकार को लगान का भुगतान करते चले आ रहे है। जिसका क्रमशः दाखिल खारिज केस नं0-820/5 वर्ष-2006-07 एवं दाखिल खारिज केस नं0-821/5 वर्ष 2006-07 एवं जमाबंदी नं0-290 दर्ज है। इस

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

तरह से लेख्य सम्पत्ति का अन्तरण एवं किसी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

प्रथम पक्ष उक्त जमीन के विकास हेतू प्रख्यात विकासक की खोज रहे थे और उन्हें द्वितीय पक्ष के अलावे अन्य कोई उपर्युक्त विकासक नहीं मिला जो उन्हें उचित मुआवजे पर कार्य कर सके।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची संख्या-01 की जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत जिसका नाम **रेणु रेसीडेन्सी** होगा का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधकों पर किया जाए।

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से सहमति से यह तय किया कि अनुसूचि संख्या-01 की जमीन पर संबंधित नगर परिषद/ पटना नगर निगम से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएगें।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवेलपर के बीच इस सम्बन्ध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलपर ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्त किया है कि सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्य करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए है कि द्वितीय पक्ष अनुसूची संख्या-01 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना करेंगे और उपरोक्त निर्माण के क्रम में जमीन मालिक प्रथम पक्ष का आरम्भ से अंत तक एक रूपया भी खर्च नहीं होगा।

04/06/18

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director 04/06/18

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

4. यह कि विकासकर्त्ता तीनों भूखण्डों को मिलाकर आवासीय इमारत एवं आधुनिक तरीके से फ्लैटों का निर्माण कर सकते है। उस स्थिति में भूखण्ड के रकवा के अनुसार उभय पक्षों से प्रतिशत का निर्धारण होगा तथा आवासीय बहुमंजिला कम्पलेक्स का निर्माण भूखण्ड स्वामी के जमीन पर होगा।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात् सम्पूर्ण शिखर Terrace का व्यवहार शर्त के अनुसार जमीन मालिक के साथ-साथ उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों या भविष्य में होने वाले स्वामियों द्वारा बनाये गये सदस्य भी करेंगे।

6. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह तय किया गया है कि संबंधित नगर परिषद्/पटना नगर निगम या अन्य कोई भी प्रधिकार द्वारा स्वीकृति प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का **45 प्रतिशत (पैंतालीस प्रतिशत)** एवं भवन निर्माता का 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) परम निर्मित क्षेत्र फ्लैट पार्किंग क्षेत्र इत्यादि में होगा और जमीन मालिक के हिस्से का निर्माण इस विलेख के अनुसूची संख्या-I एवं II में वर्णित Specification (विशिष्टताओं) के अनुसार हीं होगा और यह प्रतिशत उनके द्वारा दिए गए पूर्ण जमीन के बदले में प्रदान किया है।

7. यह कि डेवेलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा और उक्त्त इमारत में प्रयुक्त सभी समान बिना मिलावट के और दीर्घ गुणवत्ता वाले आई0एस0आई0 ब्राण्ड के लगाये जायेंगे।

8. यह कि जमीन मालिक के सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाले इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरूप और Elevation

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

आकृति तैयार करने, जिसमें किये कार्य का Specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सभी समानों, जो प्रथम कोटि का होना चाहिए के लिए एक अभियंता/सह वास्तुकार Architect को दिये जाने वाले परिश्रमिक (Fee) डेवेलपर द्वारा दिया जाएगा और वहन किया जाएगा। यह भी हुआ है कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन का अधिकतम अनुमान्य एफ० ए० आर० सुनिश्चित करेंगे और तद्नुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम अथवा संबंधित कार्यालय को भेजी जायेगी।

9. यह कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार Architect द्वारा निर्मित प्लान जमीन मालिक की सहमति से संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम या और कोई अन्य प्राधिकारों के समक्ष जमीन मालिक से हस्ताक्षर कराकर उनकी ओर से जमा कर देंगे और जमीन मालिक की ओर से भवन प्लान की स्वीकृत प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

10. यह कि अनुबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियन्ताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे कि वे विभिन्न विकास कार्य यथा नक़्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवलपर द्वारा संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जायेगी।

11. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की सीमा **चार वर्ष** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण नहीं करने पर छः महीने का कृपा काल का समय साथ

For Skywalk Infrastructure Pt. Ltd.
Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

लगाकर दिया जाएगा। उक्त निर्धारित अवधि कृपा काल सहित की गिनती संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम द्वारा नक्शा स्वीकृति के तिथि से की जायेगी। लेकिन विकास एकरारनामा के हस्ताक्षर के बाद विकासक उक्त बहुमंजिला इमारत का प्रस्तावित नक्शा भूस्वामी से हस्ताक्षर करवा कर संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था के पास जमा कर देंगे और जमा करने के बाद नक्शा पारित करवा लेंगे। वशर्ते की जमीन मालिक की ओर से सभी कागजात यथा म्युटेशन इत्यादि के मूल प्रति विकासक को उपलब्ध करा दी जायेगी। सरकारी अड़चन या प्रावधान या अन्य कोई कारण से यदि उक्त निर्धारित अवधि तक नक्शा पारित नहीं किया जा सकता है तो इसकी कोई जिम्मेवारी विकासक पर नहीं होगी।

12. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनवद्ध है कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 उपधारा 1 एवं 2 तथा अन्य सभी प्रावधानों के एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित होने के बाद या पहले परन्तु रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट होने के पूर्व विकासक एवं भूस्वामी अपने-अपने हिस्से का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर कर लेंगे तथा दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने/अंतरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर हीं ऋण ले सकते है जिसमें भूमि भी सम्मिलित होगा। यदि ऋण लेकर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराये तो ऋण देने वाले एवं डेवेलपर का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

04/06/18

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director
04/06/18

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

13. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनवद्ध है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे डेवेलपर और नामित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को कार्य करने में कोई बाधा हो और डेवेलपर को अधिकार होगा कि उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काम करने के लिए आधिकार प्राप्त हो। जिससे निर्माण के लिए उसकी योजना बनाने, नक्शा पारित कराने तथा उक्त इमारत के निर्माण के प्रारम्भ होने के पश्चात् अपने हिस्से के फ्लैटों के बिक्री हेतू एकरारनामा एवं बिक्री हेतू एकरारनामा एवं बिक्री पत्र की रजिस्ट्री इत्यादि करने का अधिकार शामिल रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कॉम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का अनुपातिक आधार पर जमीन मालिके को **45 प्रतिशत** सुपुर्द कर देंगे एवं डेवेलपर या उनके नामित अनुपाातिक रूप से 55 प्रतिशत हिस्सा के भागदार होंगे, साथ हीं साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

16. यह कि भू-स्वामी एवं विकासक के परम निर्मित क्षेत्र का विभाजन प्रस्तावित निर्माण हेतू नक्शा पारित होने के पश्चात् परन्तु कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व कर ली जायेगी। निर्मित फ्लैट एवं कार पार्किंग क्षेत्र का विभाजन या आवंटन सिस्टम Alternate Choosing पद्धति पर आधारित होगा।

16. यह कि जमीन मालिक का क्षेत्र पर जमीन मालिक को **45 प्रतिशत** का अधिकार होगा जिसका निर्धारित और स्पष्टीकरण इमारत निर्माण हेतू प्रस्तावित नक्शा पारित होने के बाद किया जायेगा। किन्तु फ्लैटों के जमीन के क्षेत्र का निर्धारण आपसी मेल जोल से उपरोक्त तरीके से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात सीढ़ी घर, रास्ता, पम्पघर, जेनेरेटर घर, वाह क्षेत्र लिफ्ट स्थान, प्रहरी

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director
05/06/18

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

घर, सामुहिक शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों के द्वारा सामुहिक रूप से उपयोग की जायेगी एवं भविष्य में रख-रखाव पर होने वाला खर्च सम्मिलित रूप से वहन किया जायेगा। साथ हीं साथ उभय पक्षों के बीच यह शर्त निर्धारित है कि वर्तमान में पारित नक्शे के आलावा यदि भविष्य में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति मिलती है या विकासकर्त्ता अन्य किसी तरीके से अतिरिक्त निर्माण कार्य करते है तब वैसी हालत में जमीन मालिक का हिस्सा **45 प्रतिशत** उपरोक्त तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस जमीन पर इमारत/ फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान एवं उन्नयन Tenement के द्वारा जो संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम और अन्य सम्बंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों एवं बंधनों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक विकासकर्त्ता को जरूरत पड़े तो वैसी सभी कार्य (Acts Deed Matters) का कार्य करने के लिए विकासकर्त्ता को प्राधिकृत करते है जिसमें खास बातें निम्नवत् हैः-

(क) उक्त जमीन पर सम्बंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम से प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनवद्धता संबंधी कागजातों तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

(ख) इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों को नियुक्त करना।

(ग) पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सीमेन्ट,

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

(घ) किसी भी याचिका, नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से उनके सहमति पर या आवश्यक होने पर किसी न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट Tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ हीं किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या Tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से सम्बंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करा एवं वकालतनामा दायर करने का स्वतंत्र अधिकार होगा।

(ड.) इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/ Tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट के एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना या विक्री करना है।

(च) डेवेलपर्स को यह अधिकार होगा कि वे अपने **55 प्रतिशत** हिस्से को सीधे अथवा सरकारी समितियों द्वारा बेचे, आवंटित करें और खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें या भविष्य में विक्री हेतु रखें एवं प्राप्त राशि को अपने पास या खातों में रखें।

(छ) जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें या विस्तृत परियोजना का विस्तार इसी परियोजना के साथ किया जाए तो जमीन मालिक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। इस परियोजना एवं दूसरी परियोजना का कोई सम्बंध नहीं रहेगा।

(ज) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे उपरोक्त जमीन पर उन्नयन उस पर भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान का कुल **55 प्रतिशत** क्षेत्र को बेचेग, आवंटित अथवा

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director/Director

04/06/18

निरस्त करेंगे जैसी जरूरत हो, वैसी करेंगे, ऐसे अधिकार उन्हें डेवेलपर क्षेत्र के निर्माण पर होगा जिसे वे उचित समझे बेचे और ऐसे फ्लैट इकाईयों/ Tenaments पार्किंग स्थान का मूल्य वसूले और खाते में अपने लिए रखें।

(झ) उपर्युक्त जमीन पर प्रस्तावित इमातर के लिए योजना को सम्बंधित प्राधिकार के नियमों उपनियमों या अन्य Clause के अन्तर्गत तैयार कर इसे संबंधित नगर परिषद् पटना नगर निगम अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृति कराने के लिए आवेदन करेंगे तथा जमीन मालिक ऐसे भी सभी आवश्यक घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा Dtatutory कागजातों को संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम अथवा अन्य अधिकारियों के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते है

(क) यह कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने का पूर्ण अधिकार है।

(ख) यह कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इनके किसी हिस्से पर कोई दावा, भाग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकार, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(ग) यह कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है साथ हीं साथ जमीन माालिक यह भी एकरार करते है कि विकासक को उपरोक्त बहुमंजिला इमारत के निर्माण क्रम में किसी प्रकार का जमीन सम्बंधित कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे एवं कार्य में रूकावट पैदा नहीं करेंगे और अगर विकासकर्ता को जमीन मालिक द्वारा निर्माण कार्य में गलत ढ़ंग से रूकावट पैदा किया जाता है इसकी सूचना जमीन मालिक

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

विकासकर्ता को तुरन्त देगें और बैठकर निराकरण विचार विमर्श के ~~जरिये करेंगे। अवरोध प्रमाणित~~ होने पर यह मनोबंध रद्द करने और इसको पूरा खर्च 18 प्रतिशत सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा।

(घ) यह कि ~~जमीन मालिक के अलावा~~ उक्त जमीन पर किसी और व्यक्ति का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं है।

(ड.) यह कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन का कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उसपर कोई झुठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्च पर चुनौती देंगे।

(च) यह कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क और कर इस विलेख लिखे जाने तक बाकी नहीं है और इसके पूर्व कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(छ) यह कि जमीन मालिक उक्त जमीन के बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर का हित एवं हिस्सा सुरक्षित रहेगा तथा जमीन मालिक वचैनवद्ध है कि पूर्वोक्त घोषणाओं के विरूद्ध कोई काम ~~या कार्रवाई नहीं~~ करेंगे।

(ज) यह कि जमीन मालिक को उन्नयकृत सम्पत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निपटाने का अधिकार होगा।

(झ) यह कि जमीन मालिक उक्त मालिक को भवन की निर्धारित अवधि तक किसी भी हालत में किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे।

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director/Director

19. इस उन्नयन मनोबंध की शर्त के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्पलेक्स में निर्माण क्षेत्र का 55 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवलपर अपने खरीदारों के पक्ष को उचित ढंग से हस्तांतरित करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठायेंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

20. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन **"मेसर्स स्काईवाल्क इन्फ्रास्टक्चर प्रा० लि०"** के नाम से करेंगे और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण कार्य केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जायेगा तथा केवल डेवेलपर हीं सरकार/ पटना नगर निगम एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवादेह होगें तथा जमीन मालिक को इससे सम्बंधित कार्यवाही मांग दावा, खर्च–नुकसान, दण्ड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध विच्छेद के कारण (नगर परिषद्/ पटना नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति से कोई सरोकार नहीं रहेगा।

21. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनवद्धता व्यक्त करते है कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तो एवं वचनों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए विकासक को प्राधिकृत करते है जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के विमित एकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

22. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इसमें संबंधित सभी खर्च शुल्क कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है। विकासकर्त्ता या उनके नामितों द्वारा वहन किया जाएगा।

23. संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से निर्धारित अवधि या छः महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमातर के निर्माण में असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director 04/06/18

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

की उनके हिस्सा निर्मित क्षेत्र सुपूर्द करने में असमर्थ रहते है (क्योंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) तो वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपदा को छोड़कर जो इस निर्माण कार्य प्रभावी करता है वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पूरा न करने के कारण डेवेलपर को जमीन मालिक को विलम्ब दंड देना होगा। जो इस प्रकार से होगा कि जमीन मालिक के नहीं बने भवन का अनुमानित मूल्य का 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह दिया जायेगा जो प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित करने की तिथि से चार वर्ष का निर्धारित अवधि एवं कृपा काल की छः माह की अवधि के समाप्ति के दिन से लागू होगा और कार्य पूर्ण होने तक लागू रहेगा।

24. यह कि निर्माण अवधि में भूस्वामी बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु व्यवहार में लाये गये समानों की जाँच किसी भी कार्य दिवस में उचित अवधि के अन्दर कर सकते है इसमें भू-विकासक को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा लेकिन बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु व्यवहार में लगाये जाने वाली सम्पूर्ण सामानों की पूरी जिम्मेवारी विकासक पर होगी परन्तु भूस्वामी स्थल पर कोई कार्यालय नहीं खोल सकते है।

25. यह कि यदि भू-विकासक उपरोक्त इमातर के रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु किसी सहकारी संस्था या प्रबंध समिति को गठन करते है तो स्थापना खर्च का व्यय भूस्वामी को नहीं देना होगा।

26 (क) यह कि इमारत में लगने वाली अन्य सुविधायें जैसे लिफ्ट, ट्रान्सफॉर्मर, बिजली कनेक्शन (मीटर सहित) इत्यादि खर्च को वहन करने की कोई जिम्मेवारी भूस्वामी पर नहीं रहेगी।

(ख) भूस्वामी अपने नाम पर हिस्से के फ्लैट के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए दो वर्ष के अन्दर आवेदन

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

पत्र विकासक को दे देंगे ताकि बिजली कनेक्शन कार्य समय पर हो सके।

27. यह कि इस इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम् निर्मित क्षेत्र तथा सिढ़ी, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनेरेटर का कमरा, खुला जगह वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अनुपातिक (परन्तु बँटवारा योग्य नहीं) अधिकार होगा।

28. डेवेलपर संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और किसी क्षति दावा, मांग जो नियमों और कानूनी उल्लंघन से उत्पन्न हो उसे जमीन मालिक को किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहेगा।

29. इमारत की योजना में डेवेलपर सभी समान (Civil) बिजली Pulumbing and Sanitory कार्यो जिसमें उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल, पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम की स्वीकृति योजना के अनुसार तथा उच्च गुणवत्ता वाले ISI बिजली ब्राण्ड का होगा।

30. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकार की देय किसी नुकसान, दावा क्षति-पूर्ति के लिए डेवेलपर हीं जवाबदेह होंगे।

31. प्रस्तावित इमारत संबंधित नगर परिषद्/ पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृति हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टयों के अनुसार निर्मित होगी।

32. यह कि उक्त इमारत के निर्माण के क्रम में जमीन मालिक या विकासक के बीच किसी प्रकार के विवाद का निपटना Indian Arbitration & Concealition Act,

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

1996 के अन्तर्गत किया जायेगा जिसका न्यायालय पटना के क्षेत्र में हीं होगा।

33. यह कि लेख्य फ्लैटों से संबंधित जरूरी कार्यो के लिए जमीन मौलिक हीं प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार के कर्त्ता की हैसितय से वरीय सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी कार्य करने हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत है।

34. यह कि Loan लौटाने की जिम्मेवारी केवल विकासकर्त्ता की होगी। इसमें जमीन मालिक या जमीन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। केवल बने हुए एराजी में डेवेलपर अपने हिस्सा को बेचकर या बैंक विकासकर्त्ता के हिस्सा को बेचकर अपने लोन या ब्याज या देनदारी का भुगतान वापस लेगा।

35. यह कि जमीन मालिक एवं विकासकर्त्ता में यह भी तय हुआ है कि RERA के तहत् ऐसे किसी जरूरी सरकारी नियम के अनुसार जरूरी निबंधन (Registration) विकासकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी या उनसे उत्पन्न विवाद का निपटारा करने की या इनकी देनदारी या खर्च की भी जिम्मेदारी विकासकर्त्ता की होगी।

36. यह कि फ्लैट धारक को रजिस्ट्री करने के पश्चात् या NOC लेने के पश्चात् जमीन मालिक अपने हिस्सा के बंधक मुक्त निर्विवाद मालिक हो जायेंगे जिसमें उनके द्वारा प्राप्त फ्लैट शेयर और जमीन दोनों शामिल होगा जो कि विकासकर्त्ता Reverse Registry से करेंगे।

37. अगर नियमानुसार 5-7% का अतिरिक्त अधिकार देने के पश्चात् विकासकर्त्ता बढ़ोतरी करता है या FAR बढ़ने के वजह से एराजी में भी तयशुदा प्रतिशत के मुताबिक जमीन मालिक को शेयर देना होगा और उसके लिए जमीन मालिक की कोई देनदारी नहीं होगी।

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director/Director

04/06/18

अनुसूची

कुल क्षेत्रफल–08 कट्ठा 14 धुर 10 धुरकी (आठ कट्ठा चौदह धुर दस धुरकी) जो 27.2656 डिसमील के समतुल्य है। जो **मौजा–रानीपुर चक मिल्की,** थाना–चौक कलां, सब रजिस्ट्री ऑफिस पटना सिटी, सदर रजिस्ट्री ऑफिस तथा जिला–पटना, क्षेत्रान्तर्गत स्थित है जिसका थाना नं0–20 (बीस), तौजी नं0–261, खाता नं0–47 (सैंतालीस), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं0–223 (दो सौ तेईस) है और वर्णित भूखण्ड पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के अन्दर है जिसका अन्य विवरण एवं दिशान्त निम्नवत् है।

चौहद्दी

उत्तर – राम जतन महतो
दक्षिण – प्लौट नं0–257
पूरब – सर्वे प्लौट नं0–253
पश्चिम – शाखा रोड

जमीन का मूल्य **मो. 70,90,000/–** (सत्तर लाख नब्बे हजार) रूपया मात्र है।

अनुसूची–2

जमीन मालिक के क्षेत्र का वास्तुशास्त्रीय एवं ढ़ाँचा विवरणः–

ढांचा :– डी0एस0सी0/पी0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि भूकम्प प्रतिरोधी आर0सी0सी प्रेम ढांचा के साथ एफई 500डी टी.एम.टी. स्टील

civil कार्य :– डी0एस0सी0/ पी0एस0सी0 द्वारा ए0सी0सी0/ लफार्ज/ अम्बुजा/ अल्ट्राटेक

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director 04/06/18

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

आईएसआई मार्क बालू एवं मसाला मिक्स डिजाईन के अनुसार।

परिसज्जन :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी भीतरी दिवारों एवं छत पी0ओ0पी0/ वाल पुट्टी का एवं प्रथम एवं बाहर की दिवार प्लास्टर की होगी और वेटर कोर्ट से पूर्ति होगी।

दरवाजे :- दरवाजे लकड़ी सखुआ/असाम शाल का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला 32 एमएम ग्रीन प्लाई या सेन्चुरी याकिट प्लाई बोर्ड का फ्लशडोर होगा तथा उस पर दो तह सिन्थेटिक इनेमेल पेन्ट या सनमाइका होगा। पेन्ट की गुणवत्ता प्रथम कोटि का होगा।

खिड़कियाँ :- सखुआ का चौखट पल्ला लकड़ी का शीशा सहित/एल्यूमिनियम फ्रेम एवं ग्रील लगा रहेगा।

फर्श :- मार्बल/ विक्ट्रीफाईड टाईल्स कमरे के आकार के आयताकार अनुरूप इसी क्षेत्रफल अन्य मार्बल (थप्पी) कमरे आकार के आयताकार अनुरूप इसी क्षेत्रफल अन्य मार्बल 2'0''×2'0'' या टाईल्स भी लगा सकते है।

शौचालय :- सभी शौचालय में चौखट पत्थर का होगा दरवाजा वाटरप्रुफ होगा ठंडा एवं गर्म पानी का नल, सफेद ग्लेज्ड टाईल्स 7 फीट ऊँचाई तक, सभी शौचालय का साजों समान ISI ब्रांड का उपयोगा होगा तथा फ्लोर एन्टीस्कीड टाईल्स। किचेन का फ्लोर मार्बल एवं किचेन वेस ग्रीन मार्बल का होगा एवं बाथरुम फ्लोर सिरामिक टाईल्स/ मार्बल का होगा।

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director/Director

रसोई घर :- ग्रेनाईट का कार्यकारी Platform तथा स्टेनलस स्टील का सिंक, कार्यकारी Platform से 24 इंच ऊँची रंगीन टाईल्स।

बिजली व्यवस्थाः- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. तार हैवल्स या एन्कर का conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट।

लिफ्ट :- एम.सी./पी.एम.सी के नियम के अनुसार उत्तम क्वालिटी स्वचालित लिफ्ट ओटिस या कोर्नेल का ISI ब्रांड होगा।

बिजली :- मानक बिजली सामग्री के साथ कॉन्सील्ड पी.भी.सी. Conducit Wrim सभी शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट एवं ड्राइंग एवं मास्टर में केबुल प्वाइंट एंकर मार्का।

प्लम्बिंक एवं सेनेटरीः- सभी पलम्बिंग एवं सेनेटरी कार्य ISI मार्क का होगा। पैन एवं बेसिन तथा सिस्टर्न (पैरी वेयर/हिन्दवेयर), पी.भी.सी. का पाईप ISI मार्क के प्रथम क्वालिटी का होगा।

उपयुक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है।

पूर्वोक्त finishing केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

अनुसूची संख्या-3

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएँः-

1. बैठकखाने में एक इंटर कॉम का प्वाइंट एवं टी. भी. प्वाइंट

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director 05/06/18

2. चौबीस घंटे अपने ट्यूववेल से जुड़े सामुहिक टंकी से पानी की व्यवस्था।

3. बैठकखाने में टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)

4. फ्लैट के अन्दर Concealed बिजली जिसमें तांबे का तार होगा।

इस वास्ते यह विलेख विकास एकरारनामा उपर्युक्त शर्त के अनुसार आज दिनांक ...04/06/18....ई० को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में गवाहान के समक्ष लिख दिया समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण:–

1. [illegible] कुमारी रेणु सिन्हा
S/o [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जमीन मालिक (प्रथम पक्ष) 04/06/18

का हस्ताक्षर

Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director/Director
04/06/18

2. Rajiv Kumar Pandey
S/o Late Ramdhar Pandey
Asiyana Nagar
Patna-25

विकासक (द्वितीय पक्ष)

का हस्ताक्षर

3. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

This deed is drafted by me according to the directions of the Builder/Vendor and the Land Owner, and on basis of the available papers and documents -

(UDAY NARAYAN SINGH)
ADVOCATE
C.B.A. Patna
License No.-5167/1995.

or Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.
Managing Director / Director

बैलेन्स का सत्यापन बैंक स्कौल से किया।

04/6/18

04/6/18

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 143800/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 168825/-

Registration Fee

FEE PAID												
	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
	A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25		
	A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
									TOTAL-	25025		

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	
Proc.Fee	0	1000
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 26025

Registering Officer
Patna

Date: 04/06/2018

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 04th June 2018 by Kumari Renu Sinha W/O-Sri Vishambhar Prasad by profession Others. Status - Executant

कुमारी रेनु सिन्हा
4.6.018

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:04/06/2018**

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Bishawambher Prasad' age '56' Sex 'M', 'S/O-Bhagwat Prasad', resident of 'Chhatar Bigha, Ibrahimpur, Nalanda'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Office
Patna

Date : 04/06/2018

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 160 on pages on 1 -26, for the year 2018 and stored i CD volume No. CD-24 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

For Skywalk Infrastructure Pvt. Ltd.

Managing Director / Director

Registering Office
Patn

Date : 04/06/2018

Token No. : 6948 **Year : 2018** **S.No. : 6785/** **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . : 607**